प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–23.03.2015 को अंर्तएजेंसी समन्वय समिति की द्वितीय बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

1. इस बैठक के मुख्य उद्देश्य के रूप में समन्वय से संबंधित एक–दूसरे एजेंसी से linked issues पर चर्चा कर समाधान हेतु उपाय एवं समाधान निकालने के निर्देश के आलोक में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम ने संबंधित विभिन्न मुद्दे को रखा।

   a) पटना नगर आयुक्त ने गुलजारबाग वार्ड संख्या–54 में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु दो tubewell बोरिंग कराने हेतु अनुरोध किया गया, साथ ही तुलसी मंडी वार्ड संख्या–53 में tubewell गाड़ने हेतु permission की माँग की गई, BRJP में निधि उपलब्ध है। बिहार राज्य जल पर्षद को अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

   [अनुपालन– BRJP]

   b) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम ने सैदपुर नाले पर ध्वस्त शनिचरा पुल निर्माण हेतु पुल निर्माण निगम को सहायता के लिए अनुरोध पत्र लिखा है, प्रधान सचिव से आग्रह किया गया कि अपने स्तर से पुल निर्माण विभाग को निर्देश दिया जाए, प्रधान सचिव द्वारा बैठक में ही अध्यक्ष पुल निर्माण विभाग से वार्त्ता कर DPR बनाने का अनुरोध किया गया। निधि विभाग से उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में पुल निर्माण विभाग को विभाग के स्तर से भी पत्र देने का निर्देश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया। नगर निकाय अग्रेत्तर अनुश्रवण करें।

   [अनुपालन– नगर विकास एवं आवास विभाग]

   c) वार्ड संख्या–8 स्टेशन रोड, एक्जीविशन रोड में बिहार रज्य पुल निर्माण निगम द्वार पुल निर्माण कार्य के दौरान कई स्थानों पर सिवरेज पाईप लाईन ध्वस्त कर दिया गया है जिससे कि जल निकासी अवरूद्ध हो गया है। अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से पत्राचार किया गया है। प्रधान सचिव द्वारा RCD के प्रधान सचिव को D.O. letter देने का निर्देश दिया गया।

   d) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बैठक में बताया गया कि पटना शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु गैमन इंडिया द्वारा कार्य कराया जा रहा था। कतिपथ स्थितियों (slow progress) के कारण work-turminate कर दिया गया है, जितना कार्य अवेशष

है उसके लिए retender किया जाए। BUIDCo कार्य एजेंसी है द्वारा बताया गया कि retender की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें अप्रत्यार्पित विलंब हो गया।

[अनुपालन– BUIDCo]

2. प्रधान सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि अगली बैठक से Inter-agency co-ordination Commmittee की बैठक में RCD/Energy Department के representative को भी भाग लेने हेतु लिखा जाय।

3. **NBCC**– NBCC की समीक्षा क्रम में के महाप्रबंधक, NBCC द्वारा बताया गया कि उनके DPR के अनुसार scope of work के अनुरूप कार्य किया गया है, पहाड़ी सम्प हाऊस के अधूरे कार्य हेतु निधि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि Joint Verification Team के जाँच उपरांत प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निर्णय लिया जाएगा, Joint Verification Team दिनांक–30.03.2015 की बैठक में अपना विस्तृत जाँच प्रतिवेदन देगी।

प्रधान सचिव द्वारा जानना चाहा कि जोगीपुर सम्प हाऊस को पानी क्यों नहीं मिल रहा, इस पर NBCC के महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि BRJP/PMU के द्वारा Drainage network Complete नहीं रहने के कारण NBCC जोगीपुर के सम्प को proper water supply नहीं हो पाता है।

4. **बुडको–**

a) महाप्रबंधक बुडको द्वारा बनाये गये नाले हेतु 55 लाख एवं छठ पर्व में कराये गये कार्य में करीब 28 लाख की राशि पटना नगर निगम द्वारा बुडको को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा आश्वासन दिया कि शीघ्र राशि transfer कर दिया जाएगा।

[अनुपालन– पटना नगर निगम]

b) बुडको द्वारा माँग की गई कि रामचक बैरीया में Abattoir एवं waste management के स्थापना हेतु 5 एकड़ जमीन बुडको को पटना नगर निगम द्वारा स्थानांतरण किया जाना है। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम ने कहा कि दिनांक–30.03.2015 की बोर्ड की बैठक से अनुमोदन लेकर सहमति दी जाएगा।

[अनुपालन– पटना नगर निगम]

c) Bus Q-Shelter के Advertisement Rights हेतु पटना नगर निगम को decision लेना है क्योंकि इसी राशि से shelter का maintenance प्रावधानित है।

d) पूराने Bus Q-Shelter को हटाने के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि नगर आयुक्त, पटना नगर निगम review कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

5. प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि solid waste management एवं cleaning में machine के उपयोग को बढ़ावा दें, required equipments का बोर्ड से अविलम्ब approval प्राप्त कर, उचित समझें तो state procurement agency, BUIDCo को requisition भेजें।

6. प्रधान सचिव द्वारा BRJP में अभियंताओं के recruitment (संविदा पर) हेतु प्राप्त आवेदन के आधार पर merit-list तैयार कर दिनांक–23.03.2015 के बैठक में लाना था, merit-list तैयार नहीं होने की सूचना दी गई। प्रधान सचिव के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि दिनांक–30.03.2015 से पूर्व merit-list का प्रारूप प्रकाशन कर लिया जाए।

7. पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि नाला उड़ाही से संबंधित rate निर्धारण अविलम्ब कर उड़ाही का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए।

8. कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन अंचल द्वारा जल निकासी हेतु प्रस्ताव बनाकर दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी को संबंधित प्रस्ताव में से प्राथमिकता तय कर, पुनः प्रस्ताव देने का सुझाव दिया गया।

9. अन्य कार्यपालक पदाधिकारियों को भी यह निर्देश दिया गया कि वे भी अपने क्षेत्र से संबंधित Inter-agency co-ordination issue की सूची बैठक में लेकर आयें।

10. BRJP के द्वारा आगामी बरसात में जल जमाव से बचाव के लिए करबिगहीया पावर हाऊस से मीठापुर बस स्टैण्ड से होते जल निकासी नाला का निर्माण तथा मीठापुर में सम्पहाऊस का निर्माण का प्रस्ताव दिया गया जिससे कि अत्यधिक पानी को निकाल कर बाईपास के कच्चे नाला के द्वारा नन्दलाल छपरा के पास से बाईपास के दक्षिण निकाला जा सके। BRJP को इस कार्य से संबंधित DPR 2 माह में बनाने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में BRJP द्वारा SPUR से discussion किया गया है।

[अनुपालन– BRJP]

11. BRJP के मुख्य अभियंता द्वारा अभियंताओं के कमी के बारे में बताया गया जिसके आलोक में प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि वर्त्तमान में कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु

जो आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं उन्हीं आवेदनों में से scruitny कर सभी पदों पर नियुक्त करने का विचार करें।

12. BRJP IT कार्य हेतु BPSM से आई०टी० प्रबंधक की सेवा प्राप्त करें।

[अनुपालन– BRJP]

13. अभियंताओं के विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति हेतु सेवा निवृत अभियंताओं का आवेदन प्राप्त कर पैनल विभागीय स्तर पर तैयार कर, विभाग के अलग–अलग एजेंसियों को जरूरत के अनुरूप उपलब्ध कराया जएगा।

[अनुपालन– उप सचिव (स्थापना)]

14. BRJP को DPR बनाने हेतु consultant का empanelment करने का निर्देश दिया गया, जिससे कि जरूरत पड़ने पर शीघ्र DPR बनवाया जा सके।

[अनुपालन– BRJP/SPUR]

15. BRJP अपना website प्रारंभ करें, इसके लिए SPUR सहायता देगा।

[अनुपालन– BRJP]

16. BRJP को निर्देश दिया गया कि सभी चारों electric crimatorium (furnance) को चालू रखें।

[अनुपालन– BRJP]

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–1707/न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–30/3/15

प्रतिलिपि– सभी संबंधित को अनुपालनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

E:/Anuj Office/2015 (Hindi.doc